स्पीड पोस्ट द्वारा

सं॰वी॰12017/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत-चिकित्सा शिक्षा अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 15 जुलाई, 2014

सेवा में,

अध्यक्ष
शान एड्यूकेशन सोसाइटी,
पीएमसी स्कूल के नजदीक, एनआईबीएम क्रॉसिंग
मेन कोंढवा रोड,
पुणे, महाराष्ट्र – 411048

विषय: शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए गार्जियन कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, ठाणे में 100 सीटों वाले 2 वर्षीय बीडीएस पाठ्यक्रम – सशर्त अनुमति के संबंध में ।

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 3.7.2014 के समसंख्यक पत्र में निर्धारित अनुसार पुनर्वैधीकृत पीबीजी प्रस्तुत करने हेतु समय मांगने से संबंधित आपके दिनांक 7.7.2014 के पत्र के संदर्भ में शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए गार्जियन कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, ठाणे में 100 सीटों वाले 2 वर्षीय बीडीएस पाठ्यक्रम को नवीकृत किए जाने से संबंधित केंद्र सरकार की सशर्त अनुमति सूचित करने का निदेश हुआ है। यह अनुमति-पत्र निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन है:

(i) आवेदक दिनांक 15.7.2014 से दो सप्ताह के भीतर इस मंत्रालय को अगले चार वर्षों के लिए रु.200 लाख के पीबीजी सं. 0505009बीजी0002379 दिनांक 24.7.2009 का पुनर्वैधीकरण जमा कराएगा और इसमें चूक करने पर 100 सीटों वाले बीडीएस पाठ्यक्रम की सशर्त अनुमति रद्द समझी जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप बीडीएस पाठ्यक्रम में छात्रों की भर्ती करने के कॉलेज / संस्थान का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

(ii) केंद्र सरकार की औपचारिक अनुमति प्राप्त होने के बाद शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए 100 सीटों वाले बीडीएस पाठ्यक्रम में केवल दंत चिकित्सा महाविद्यालय में ही भर्ती की जाएगी।

(iii) केंद्र सरकार से नवीकरण की अनुमति मिलने के बाद ही कॉलेज में 100 सीटों वाले बीडीएस पाठ्यक्रम के अगले बैच में छात्रों की भर्ती की जाएगी।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

हस्ता./-
(देवानंद पी॰ वेठे)
भारत सरकार के अवर सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. सचिव, भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद्, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं औषध विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र।
3. निदेशक (एमई), चिकित्सा शिक्षा एवं औषध विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र।
4. रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र स्वास्थ्य सेवाएँ विश्वविद्यालय, म्हासरुल, वाणी रोड, नासिक-422004, महाराष्ट्र।
5. एडीजी (चि॰शि॰), डीजीएचएस, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
6. सं. वी.12017/20/2008-डीई।
7. गार्ड फाइल ।

हस्ता./-
(देवानंद पी॰ वेठे)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

सं. वी.12017/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत-चिकित्सा शिक्षा अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 15 जुलाई, 2014

सेवा में,

संकायाध्यक्ष,
गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल,
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परिसर,
मेडिकल चौक, नागपुर- 440003,
महाराष्ट्र

विषय : शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, नागपुर में भर्ती क्षमता को 40 से बढ़ाकर 50 करने सहित 2 वर्षीय बीडीएस पाठ्यक्रम की अनुमति के नवीकरण के संबंध में ।

महोदय,

मुझे आपके दिनांक 11.7.2014 के पत्र, जिसके साथ दिनांक 14.6.2014 की डीसीआई की सिफारिश के अनुसार तथा इस मंत्रालय के दिनांक 3.7.2014 के समसंख्यक पत्र में निर्धारित अनुसार अपेक्षित वचनपत्र प्रस्तुत करने, के संदर्भ में शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, नागपुर में भर्ती क्षमता को 40 से बढ़ाकर 50 करने सहित 2 वर्षीय बीडीएस पाठ्यक्रम की अनुमति के नवीकरण के संबंध में केंद्र सरकार की सशर्त अनुमति सूचित करने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध है और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के दौरान सीटों में हुई वृद्धि के संबंध में केवल छात्रों के एक ही बैच के लिए स्वीकृत है। कॉलेज में बीडीएस कोर्स के अगले बैच के लिए बढ़ी हुई सीटों पर प्रवेश केवल केंद्रीय सरकार की अनुमति के नवीकरण के बाद ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10 ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हो, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय,

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद्, कोटला रोड, नई दिल्ली को दिनांक 11.7.2014 के पत्र की एक प्रति सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
2. सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं औषध विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र।
3. निदेशक (एमई), चिकित्सा शिक्षा एवं औषध विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र ।
4. रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र स्वास्थ्य सेवाएँ विश्वविद्यालय, म्हारसुल, वाणी रोड, नासिक-422004, महाराष्ट्र ।
5. एडीजी (एमई), डीजीएचएस, निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
6. सं॰ वी.12017/82/2012-डीई ।

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

सं॰ वी.12017/2/2014-डीई

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(दंत-चिकित्सा शिक्षा अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 15 जुलाई, 2014

सेवा में,

सचिव

शहीद करतार सिंह सराभा धर्मार्थ न्यास,

ग्राम एवं डाकघर: सराभा-141105,

जिला: लुधियाना, पंजाब

विषय: शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए शहीद करतार सिंह सराभा डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, लुधियाना में 50 सीटों वाले बीडीएस पाठ्यक्रम के छात्रों के 5वें बैच की भर्ती की अनुमति के नवीकरण के संबंध में।

महोदय,

मुझे दिनांक 11.7.2014 के आपके पत्र, जिसके साथ आपने दिनांक 14/06/2014 की डीसीआई की सिफारिश के अनुसार तथा दिनांक 3.7.2014 के समसंख्यक पत्र में निर्धारित अनुसार स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, लुधियाना द्वारा अपेक्षित पुन: वैधीकृत निष्पादन बैंक गारंटी संख्या 5046309बीजी0000058 प्रस्तुत की है, के संदर्भ में शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए शहीद करतार सिंह सराभा डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, लुधियाना में 50 सीटों वालेबीडीएस कोर्स के 5वें बैच को प्रवेश की औपचारिक अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. कॉलेज प्राधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे बीडीएस पाठ्यक्रम के दूसरे बैच के छात्रों के अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठते समय 50 सीटों वाले बीडीएस पाठ्यक्रम की डिग्री की मान्यता के लिए डीसीआई / भारत सरकार के पास नए सिरे से आवेदन करें।

3. यह अनुमति केवल एक वर्ष हेतु और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए 50 सीटों वाले केवल एक बैच के छात्रों की भर्ती के लिए वैध है। केंद्र सरकार द्वारा अनुमति के नवीकरण / डिग्री की मान्यता दिए जाने के बाद ही कॉलेज में 50 सीटों वाले बीडीएस पाठ्यक्रम में अगले बैच के छात्रों की भर्ती की जाएगी।

4. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10 ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

5. विसंगतियां, यदि कोई हो, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय,

हस्ता./-

(देवानंद पी.)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को ऊपर वर्णित संबंधित बैंकर से प्राप्त मूल पीबीजी को इसके साथ संलग्न करके इसकी शुद्धता और प्रामाणिकता सत्यापित करने के अनुरोध सहित।
2. सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, पंजाब सरकार, मिनी सचिवालय, सेक्टर-9, चंडीगढ़ - 160009
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, पंजाब सरकार, मंत्रालय, मिनी सचिवालय, सेक्टर-9, चंडीगढ़ -160009
4. रजिस्ट्रार, बाबा फरीद स्वास्थ्य सेवाएँ विश्वविद्यालय, कोट कपूरा रोड, फरीदकोट-151203 (पंजाब)
5. एडीजी (चि॰शि॰), डीजीएचएस, निर्माण भवन, नई दिल्ली ,
6. एफ सं॰ वी॰12017/38/2007-डीई

हस्ता./-

(देवानंद पी.)

अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

सं॰ वी.12017/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत-चिकित्सा शिक्षा)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 15 जुलाई, 2014

सेवा में,

सचिव
चंद्राम्मा एड्यूकेशन सोसाइटी,
सर्वे नं॰ 59, जयनगर कालोनी,
न्यू बोवेनपल्ली, सिकंदराबाद,
आंध्र प्रदेश

विषय: शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए मल्ला रेड्डी डेंटल कॉलेज फॉर वुमन, हैदराबाद के नाम से नए दंत चिकित्सा कॉलेज की स्थापना हेतु केंद्र सरकार की अनुमति।

महोदय,

मुझे दिनांक 10.7.2014 के आपके पत्र, जिसके साथ आपने इस मंत्रालय के दिनांक 3.7.2014 के समसंख्यक पत्र में निहित निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करने तथा बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी 200 लाख रुपए की निष्पादन बैंक गारंटी संख्या 57101पीईबीजी140002 दिनांक 10.7.2014 प्रस्तुत की है, के संदर्भ में शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए शहीद करतार सिंह सराभा डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, लुधियाना में 50 सीटों वालेबीडीएस कोर्स के 5वें बैच को प्रवेश की औपचारिक अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष हेतु और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए केवल एक बैच के छात्रों की भर्ती के लिए वैध है। केंद्र सरकार द्वारा अनुमति के नवीकरण की मान्यता दिए जाने के बाद ही कॉलेज में अगले बैच के छात्रों की भर्ती की जाएगी।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हो, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय,

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को ऊपर वर्णित संबंधित बैंकर से प्राप्त मूल पीबीजी को इसके साथ संलग्न करके इसकी शुद्धता और प्रामाणिकता सत्यापित करने के अनुरोध सहित।
2. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, सचिवालय, हैदराबाद ।
3. निदेशक (चिकित्सा शिक्षा), चिकित्सा शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, सचिवालय, हैदराबाद ।
4. रजिस्ट्रार, डॉ॰ एन॰टी॰आर॰ स्वास्थ्य सेवाएँ विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश
5. एडीजी (एमई), डीजीएचएस, निर्माण भवन, नई दिल्ली ,
6. एफ सं॰ वी.12017/91/2013-डीई
7. गार्ड फाइल

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

सं॰ वी॰12017/2/2014-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत-चिकित्सा शिक्षा)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 15 जुलाई, 2014

सेवा में,

सचिव एवं संवाददाता
मदर टेरेसा एड्यूकेशनल सोसाइटी,
एनएच-216, चैतन्य नगर, अमलापुरम,
ई जी जिला, आंध्र प्रदेश - 533201

विषय: शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए बीडीएस पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु केआईएमएस डेंटल कॉलेज, अमलापुरम के नाम से नए दंत चिकित्सा कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र सरकार की अनुमति।

महोदय,

मुझे दिनांक 14.7.2014 के आपके पत्र, जिसके साथ आपने इस मंत्रालय के दिनांक 3.7.2014 के समसंख्यक पत्र में निहित निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार किया है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी रु॰ 200 लाख की दिनांक 11.7.2014 की निष्पादन बैंक गारंटी संख्या 448914बीजी0000036 प्रस्तुत की है, के संदर्भ में शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए 100 सीटों वाले बीडीएस कोर्स शुरू करने के लिए केआईएमएस डेंटल कॉलेज, अमलापुरम के नाम से नए दंत चिकित्सा कॉलेज की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार की औपचारिक अनुमति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यह अनुमति केवल एक वर्ष हेतु और शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए केवल एक बैच के छात्रों की भर्ती के लिए वैध है। केंद्र सरकार द्वारा अनुमति के नवीकरण की मान्यता दिए जाने के बाद ही कॉलेज में बीडीएस पाठ्यक्रम में अगले बैच के छात्रों की भर्ती की जाएगी।

3. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. विसंगतियां, यदि कोई हो, को डी.सी.आई. और राज्य / केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय,

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, कोटला रोड, नई दिल्ली को ऊपर वर्णित संबंधित बैंकर से प्राप्त मूल पीबीजी को इसके साथ संलग्न करके इसकी शुद्धता और प्रामाणिकता सत्यापित करने के अनुरोध सहित।
2. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, सचिवालय, हैदराबाद
3. निदेशक (चिकित्सा शिक्षा), चिकित्सा शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, सचिवालय, हैदराबाद
4. रजिस्ट्रार, डॉ॰ एन॰टी॰आर॰ स्वास्थ्य सेवाएँ विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश
5. एडीजी (एमई), डीजीएचएस, निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. एफ सं॰ वी॰12017/93/2013-डीई
7. गार्ड फाइल।

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

सं॰ वी॰12017/5/2010-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
(दंत-चिकित्सा शिक्षा अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 15 जुलाई, 2014

सेवा में,

सचिव एवं संवाददाता,
सिस्टर केअर एड्यूकेशनल सोसाइटी,
3-29-211/बी-3, रामानुज कुटम
कृष्णनगर, मेन रोड, गुंटूर
आंध्र प्रदेश - 522006

विषय: शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए केअर डेंटल कॉलेज, गुंटूर के नाम से नए दंत-चिकित्सा कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदन के संबंध में ।

महोदय,

मुझे शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए केअर डेंटल कॉलेज, गुंटूर के नाम से नए दंत-चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए आपके आवेदन के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद् ने अपने पत्र क्रमांक डीई-22(374)-2014/ए-2572 दिनांक 10 जून, 2014 में कतिपय कमियों / टिप्पणियों के कारण शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए नए दंत-चिकित्सा कॉलेज की स्थापना हेतु केंद्र सरकार को आपके आवेदन को अस्वीकार करने की सिफारिश की है।

2. इसके अलावा, दंत चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम 1993, की धारा 10क(4) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार इस प्रयोजन हेतु गठित समिति द्वारा दिनांक 30/06/2014 को मंत्रालय में आपको सुनवाई का एक अवसर दिया गया था। आपके / आपके प्रतिनिधि द्वारा दी गई प्रस्तुति पर विचार करने के बाद उक्त समिति ने केंद्र सरकार को सिफारिश की है कि इस मामले को समीक्षा और अनुपालन हेतु सत्यापन मूल्यांकन के लिए डी.सी.आई. को सौप दिया जाए। तदनुसार, कॉलेज द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट को दिनांक 02/07/2014 के पत्र सं.वी.12017/5/2010-डीई से डीसीआई को भेजा गया था।

3. उपर्युक्त के उत्तर में डीसीआई ने दिनांक 08/07/2014 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि परिषद किसी डेंटल कॉलेज के किसी भी अनुपालन रिपोर्ट / अभ्यावेदन / आवेदन पर बिना भौतिक सत्यापन / अनुपालन सत्यापन निरीक्षण के बिना विचार / पुनः विचार नहीं कर सकती और परिषद सांविधिक समय-सारणी तथा प्रिया गुप्ता एवं मृदुल धर के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वर्तमान वर्ष 2014-15 के लिए 15 जून, 2014 के बाद कोई नया निरीक्षण नहीं कर सकती। अंततः डीसीआई की कार्यकारी समिति ने सीटों को कम करने की अपनी पूर्व अनुमति के अपने पूर्व निर्णय को दोहराया।

4. उपर्युक्त को देखते हुए, केन्द्र सरकार ने डीसीआई की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और केअर डेंटल कॉलेज, गुंटूर के नाम से नए डेंटल कॉलेज की स्थापना के लिए आपके आवेदन को शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए एतद्द्वारा अस्वीकृत कर दिया है। तथापि, की अनुमति के नवीकरण को अपनी मंजूरी दे दी है। तथापि, आप डीसीआई विनियम, 2006 के अनुसार अगले शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2015-16 के लिए नए दंत चिकित्सा कॉलेज की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार को नया आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

भवदीय,

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1॰ सचिव, भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद्, कोटला रोड, टेम्पल लेन, नई दिल्ली-110002॰
2॰ फाइल सं॰ वी.12017/101/2012-डीई

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

स्पीड पोस्ट द्वारा

सं॰ वी.12017/5/2010-डीई
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(दंत-चिकित्सा शिक्षा अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 15 जुलाई,2014

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
आदित्य दंत चिकित्सा कॉलेज,
सूरज नगर, शारदा इस्टेट
पिंपलनेर रोड, बीड,
महाराष्ट्र-431122

विषय: शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए आदित्य दंत चिकित्सा महाविद्यालय, बीड के 100 सीटों वाले बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पर रोक लगाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद् ने अपने पत्र क्रमांक डीई-3(243)-214/ए-967 दिनांक 14 जून 2014 में कतिपय कमियों का उल्लेख करते हुए शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए आदित्य दंत-चिकित्सा महाविद्यालय, बीड के 100 सीटों वाले बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पर रोक लगाने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की है।

2. इसके अलावा, दंत चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम 1993, की धारा 10क(4) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार इस प्रयोजन हेतु गठित समिति द्वारा दिनांक 30/06/2014 को मंत्रालय में आपको सुनवाई का एक अवसर दिया गया था। आपके / आपके प्रतिनिधि द्वारा दी गई प्रस्तुति पर विचार करने के बाद उक्त समिति ने केंद्र सरकार को सिफारिश की है कि इस मामले को समीक्षा और अनुपालन हेतु सत्यापन मूल्यांकन के लिए डी.सी.आई. को सौप दिया जाए। तदनुसार, कॉलेज द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट को दिनांक 02/07/2014 के पत्र सं.वी.12017/5/2010-डीई से डीसीआई को भेजा गया था।

3. उपर्युक्त के उत्तर में डीसीआई ने दिनांक 08/07/2014 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि परिषद किसी डेंटल कॉलेज के किसी भी अनुपालन रिपोर्ट / अभ्यावेदन / आवेदन पर बिना भौतिक सत्यापन / अनुपालन सत्यापन निरीक्षण के बिना विचार / पुनः विचार नहीं कर सकती और परिषद सांविधिक समय-सारणी तथा प्रिया गुप्ता एवं मृदुल धर के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वर्तमान वर्ष 2014-15 के लिए 15 जून, 2014 के बाद कोई नया निरीक्षण नहीं कर सकती। अंततः डीसीआई की कार्यकारी समिति ने सीटों को कम करने की अपनी पूर्व अनुमति के अपने पूर्व निर्णय को दोहराया।

4. उपर्युक्त को देखते हुए, केन्द्र सरकार ने डीसीआई की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और 100 सीटों वाले आदित्य दंत चिकित्सा कॉलेज, बीड में शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए एतद्द्वारा बीडीएस कोर्स में प्रवेश बंद करने के अपने अनुमोदन की सूचना दी है। इसलिए आपको निदेश दिया जाता है कि आप वर्ष 2014-15 के लिए बीडीएस कोर्स में किसी छात्र का प्रवेश न करें।

5. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए किए गए प्रवेश को अनियमित माना जाएगा और दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ख के तहत कार्रवाई की जाएगी।

भवदीय,

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. सचिव, भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद्, कोटला रोड, नई दिल्ली ।
2. सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं औषध विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र ।
3. निदेशक (एमई), चिकित्सा शिक्षा एवं औषध विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र ।
4. रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र स्वास्थ्य सेवाएँ विश्वविद्यालय, म्हासरुल, वाणी रोड, नासिक-422004, महाराष्ट्र ।
5. एडीजी (एमई), डीजीएचएस, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
6. सं॰ वी॰12017/110/2008-डीई।
7. गार्ड फाइल ।

हस्ता./-
(देवानंद पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार